Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 3, Issue 3, July-September, 2025
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
ISSN : 3048-6971

फ्रांस की शासन प्रणाली

डॉ० आरती मिश्रा बलोनी
असिस्टेट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
उत्तरांचल विश्वविद्यालय

फ्रांस के आधुनिक राजनीतिक एवं सांविधानिक प्रणाली का आरम्भ सन् 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के परिणामस्वरुप हुआ। संसदीय शासन प्रणाली और लोकतंत्र के आदर्श स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन माने जाते हैं। फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली में अनेक परिवर्तन के साथ कई प्रयोग किये गये जिस दृष्टि से फ्रांस को 'शासन प्रणालियों की प्रयोगशाला' की संज्ञा प्रदान की गयी है। 1789 ई॰ की महान क्रांति के पश्चात् 1791 ई॰ में फ्रांस का प्रथम लिखित संविधान अस्तित्व में आया। इस संविधान में ' एक सदनात्मक संसद' की व्यवस्था की गई। 24 जून 1793 ई॰ में 'जेकोबिन्स' ने प्रथम 'फ्रांसीसी शासन' की स्थापना की। 22 अगस्त 1795 ई॰ को संविधान की पुनः रचना की गई। इस संविधान द्वारा विधायी शक्ति 500 सदस्यीय 'कौंसिल' और वृद्ध पुरुषों की 'कौंसिल' में निहित की गई। कार्यकारिणी शक्ति को पाँच सदस्यीय 'डाइरेक्टरी' को सौपा गया। 1799 ई॰ में नेपौलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण शासन व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण कर लिया जिसके फलस्वरुप फ्रांस में एक नवीन व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। जिसे 'कॉन्सलेट' के नाम से जाना गया। सन् 1804 में जब कान्सॅलेट भी समाप्त हो गया तब नैपोलियन स्वयं फ्रांस का सम्राट बन गया। नैपोलियन के सम्राट बनते ही फ्रांस के प्रथम प्रजातंत्र का सूर्यास्त हुआ व फ्रांस में प्रथम सम्राज्य का उदय हुआ। 1814 ई॰ मे नैपोलियन का प्रभाव भी समाप्त हो गया। परिणामस्वरुप, फ्रांस मे पुनः 'राजतंत्र' की स्थापना हो गयी। यह राजतंत्र इंग्लैण्ड की भांति संवैधानिक राजतंत्र था।

सन् 1852 के द्वितीय गणतंत्र में पुनः एक सदनात्मक संसद की व्यवस्था कर दी गयी। कुछ समय पश्चात् संसद को तीन सदनों में बांट दिया गया परन्तु कई वाद–विवाद के बाद इसे द्विसदनात्मक कर दिया। जिसमें प्रथम सदन 'प्रतिनिधि सभा' तथा द्वितीय सदन 'सीनेट' कहलाया। 1875 ई॰ में नये संवैधानिक परिवर्तन हुए जिसके तहत् नया संविधान बना जो तृतीय गणतंत्र के नाम से विख्यात हुआ। इस संविधान द्वारा ' द्विसदनीय विधान मण्डल' की स्थापना की गयी। राजा का स्थान राष्ट्रीय सभा द्वारा 'निर्वाचित राष्ट्रपति' को दे दिया गया। 1940 ई॰ में चतुर्थ गणतंत्र की स्थापना की गयी। इसमें भी द्विसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गयी जिसमें प्रथम सदन 'राष्ट्रीय सभा' एवं द्वितीय सदन 'गणतंत्र परिषद्' कहलाया। इस प्रकार चतुर्थ गणतंत्र में फ्रांस की संसद का एक व्यवस्थित संस्थागत रुप सामने आया। [1] द्वितीय विश्व युद्ध से फ्रांस को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रुप से हानि पहुंची। चतुर्थ गणतंत्र से वहां की जनता को आकांक्षाये थी, परन्तु सरकार इन उम्मीदों को पूर्ण करने में असफल रही। फ्रांस में इन 12 वर्षों में 24 सरकारों का गठन व विघटन हुआ। चतुर्थ गणतंत्र की दुर्बलताओं को दूर करने के लिए पंचम गणतंत्र का निर्माण 5 अक्टूबर 1958 को किया गया, जो कि राष्ट्रीय परिपृच्छा का परिणाम था। [2]

चित्र 3.5

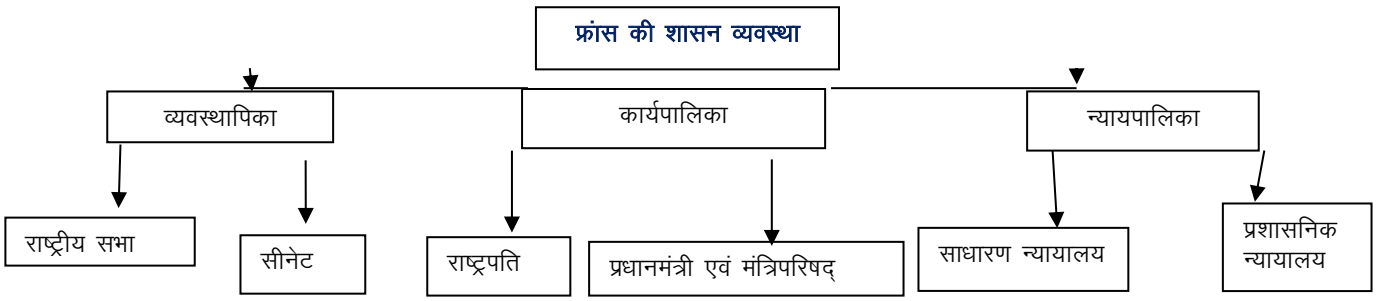

उपरोक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि फ्रांस शासन व्यवस्था को कार्यात्मक दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। फ्रांस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के रुप में संसद कार्यरत है। पंचम गणराज्य के संविधान 1958 के अन्तर्गत फ्रांस में ' द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के साथ–साथ दोहरी कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। फ्रांस संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार ''संसद राष्ट्रीय सभा तथा सीनेट से मिलकर बनेंगी, जिसमें निम्न सदन 'राष्ट्रीय सभा' तथा उच्च सदन 'सीनेट' कहलाता है। ''[3] फ्रांस की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की शक्तियों का निर्वहन प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् व राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत फ्रांस न्यायपालिका दो भागों में विभक्त है– साधारण न्यायालय व प्रशासनिक न्यायालय।

राष्ट्रीय सभा :– राष्ट्रीय सभा निम्न एंव लोकप्रिय सदन है। प्रारम्भ में इस सदन की कुल संख्या 465 निर्धारित की गई थी परन्तु वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या 577 है। नवीन संविधान के अनुसार इसके सदस्यों का निर्वाचन व्यापक, प्रत्यक्ष, गुप्त

मताधिकार के आधार पर होता है। संपूर्ण देश को एक समान 577 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संविधान के अर्न्तगत सामान्यतः राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है किंतु इस अवधि से पूर्व भी इसका विघटन प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभापति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता। सदन के विघटित होने के पश्चात् 40 दिनों के भीतर इसका पुननिर्वाचन होना आवश्यक है। पुननिर्वाचन के पश्चात् एक वर्ष के भीतर सदन का पुनः विघटन नही किया जा सकता है। सीनेट के समान राष्ट्रीय सभा में भी एक ब्यूरो की व्यवस्था है, जिसमें 6 उपसभापति, 14 सचिव तथा तीन प्रश्नकर्ता होते हैं। राष्ट्रीय सभा का सभापति इस ब्यूरो का अध्यक्ष होता है। सभापति का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। अध्यक्ष के पास कई शक्तियां होती हैं। अध्यक्ष किसी भी प्रश्न पर मतदान करा सकता है। सदन की गरिमा, नियम तथा मर्यादा की रक्षा करता है। फ्रांस में ''एक बार अध्यक्ष'' सदैव के लिए अध्यक्ष की परम्परा का भी पालन किया जाता है। यदि सभापति पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति मिल जाता हैं तो वह व्यक्ति बार–बार निर्वाचित हो सकता है। भले ही प्रथम बार निर्वाचित करने वाला गुट अस्तित्व में हो या ना हों। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा का सभापति अपने निर्वाचन के पश्चात् भी दल से सम्बन्ध बनाए रखता है।

सीनेट :– पंचम गणराज्य के संविधान में उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। सीनेट में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों, विभागीय परिषद् के सदस्य, नगरपालिका परिषदों के सदस्य तथा प्रादेशिक खण्डों के प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीनेट की सदस्य संख्या राष्ट्रीय सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से कम और आधे से अधिक नहीं हो सकती है। इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुप से होता है। सीनेट का कार्यकाल 9 वर्ष है तथा इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। फ्रांस के संसद के दोनों सदनों में कार्य संचालन हेतु एक ब्यूरो की व्यवस्था की गई है। सीनेट में भी ब्यूरो होता है, जिसका अध्यक्ष सभापति होता है। सभापति का निर्वाचन सीनेट द्वारा तीन वर्ष के लिए किया जाता है तथा वह किसी भी प्रश्न पर मतदान कर सकता है। वह सदन की गरिमा, नियम तथा मर्यादा की रक्षा करता है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस समय सीनेट का सभापति कार्यकारी राष्ट्रपति का पद सम्भालता है किन्तु वह राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग नही कर सकता। सीनेट का सभापति राष्ट्रपति का एक प्रमुख परामर्शदाता होता है। राष्ट्रीय सभा को विघटित करने के लिए और संकटकालीन घोषणा से पूर्व वह राष्ट्रपति को परामर्श देता है।

सीनेट और राष्ट्रीय सभा का परस्पर सम्बन्ध :–

फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के कार्यो और अधिकारों में सदैव परिवर्तन होता रहा हैं। विशेषकर द्वितीय सदन के सम्बन्ध में, जहां तृतीय गणतंत्र में दोनों सदनों के अधिकार लगभग समान थे। वही चतुर्थ गणतंत्र में द्वितीय सदन के कार्यो और अधिकारों में परिवर्तन हुआ तथा पंचम गणतंत्र में द्वितीय सदन को नया स्वरुप प्रदान किया गया। वर्तमान में, संसद की सर्वोच्चता तथा व्यवस्थापिका की तुलना में राष्ट्रपति तथा संविधान परिषद् की शक्तियों में वृद्धि की गई है।[4] फ्रांस में युद्ध की घोषणा, शान्ति की स्थापना और सन्धि के मामलों में दोनों सदनों को समान अधिकार प्रदान हैं। परन्तु मंत्रिपरिषद् सामूहिक रुप से केवल राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा में लाया जाता है। इसी प्रकार विधेयक के सम्बन्ध में भी राष्ट्रीय सभा को निर्णायक मत देने का अधिकार है। वित्त विधेयक केवल राष्ट्रीय सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सीनेट को उस पर विचार विमर्श करने और संशोधन करने का अधिकार है इसके अतिरिक्त सीनेट को उस विधेयक पर 15 दिन के भीतर अपना निर्णय देने होता है। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनो सदनों में उस पर विचार होता है। किसी भी मुद्दे पर यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में आम सहमति न बन पाए तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री विधेयक की महत्ता को दृष्टिगत करते हुए समान प्रतिनिधित्व के आधार पर संयुक्त समिति का गठन करता है।[5] संयुक्त समिति जिस रुप में विधेयक को तैयार करेगी, सरकार उसी रुप में विधेयक को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। इसके पश्चात् भी यदि विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध बना रहता है तो ऐसे में विधि निर्माण का अन्तिम निर्णय राष्ट्रीय सभा को प्राप्त होता है।

फ्रांस में समिति व्यवस्था :– फ्रांस में सदन की समितियों को आयोग व्यवस्था कहा जाता है। दोनों सदनों मे कानून निर्माण की प्रक्रिया को सुचारु रुप से चलाने के लिए आयोग का चुनाव सदन के प्रारम्भ में ही कर दिया जाता है। आयोग सदन से प्राप्त होने वाले विधेयकों का परीक्षण करते हैं। उससे सम्बन्धित मंत्रियों के विचारों को सुनते हैं। किसी भी विधेयक को सीनेट में रखने से पहले जांच के लिए उनसे सम्बन्धित स्थायी समितियों के पास भेजा जाता है। वर्तमान में सीनेट में सात स्थायी समितियों की व्यवस्था है। सांस्कृतिक, पारिवारिक और सामाजिक मामलों की समिति, अर्थ–व्यवस्था तथा आर्थिक नियोजन की समिति, वैदेशिक मामलों की समिति, वित्तीय समिति, विधि–निर्माण से सम्बन्धित समिति उत्पादन और व्यापार समिति।[6]

कार्यपालिकाः संरचना एवं प्रकार्य– फ्रांस में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री में निहित है।[7] राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रुप से सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। फ्रांस में पूर्व में राष्ट्रपति 7 वर्ष के लिए चुना जाता था परन्तु जैक शिराक के कार्यकाल (1997–2002) में यह अवधि 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष हो गयी है।[8] फ्रांस में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन होने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यहां राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। वह राष्ट्र के अध्यक्ष के साथ सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष होता है तथा संविधान के संरक्षक के रुप में भी कार्य करता है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को नियुक्त करने तथा मंत्रिमंडल की

अध्यक्षता, सरकारी विधेयकों पर प्रतिहस्ताक्षर, विदेशी संधियों, परिपृच्छा तथा राष्ट्रीय सभा को भंग करके नए चुनाव करने का अधिकार है। 1962 के सांविधानिक संशोधन के अर्न्तगत राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी, जिसके परिणामस्वरुप राष्ट्रपति की शक्तियों में भी वृद्धि हुई।

1986 के पश्चात् राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य शक्ति संतुलन में परिवर्तन आया जिसके पश्चात् आन्तरिक क्षेत्र का कार्य प्रधानमंत्री के नियंत्रण में आ गया। सन् 1997 में फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भिन्न– भिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने लगे। फ्रांस के पंचम गणतंत्र में प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को सौपा गया है।

प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है तथा वह सरकार के कार्यों का निर्देशन करता है। [9] नीति–निर्माण के नियंत्रण का अंतिम अधिकार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् के हाथों में निहित होता है। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति सरकार में काम करते हुए संसद सदस्य नहीं रह सकता है। संविधान के अनुसार सरकार की शक्तियां साधारण रुप में मंत्रिमण्डल या विशेष रुप में प्रधानमंत्री में निहित की गई हैं। मंत्रिपरिषद् के सदस्य संसद के सदस्य नही होते हैं तब भी उन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। मंत्रिपरिषद् को मार्शल लॉ लागू करने का भी अधिकार है; किन्तु 12 दिनों के भीतर सदन द्वारा उसका अनुसमर्थन या पुष्टि की जानी चाहिए। विधायी क्षेत्र में मंत्रिपरिषद् अध्यादेश जारी कर सकती है। राज्यपरिषद् की सलाह से मंत्रियों की बैठक में उसे कानून का स्वरुप प्रदान किया जा सकता है। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद् को यह शक्ति है कि संसद सदस्य द्वारा निजी तौर पर पेश किए गए ,संशोधन प्रस्ताव को अविहित कर सकती है, जो उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति में बाधा डालता है। [10] वित्तीय क्षेत्र में मंत्रिपरिषद् को यह अधिकार है कि यदि संसद विधेयक के विषय में 70 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं ले पाती है तो वह 'अध्यादेश' के द्वारा उनको प्रवर्तित कर सकती है। राज्य का नीति निर्धारण का कार्य मंत्रिमंडल के पास होता है जिसके फलस्वरुप फ्रांस में प्रधानमंत्री शासन का अध्यक्ष माना जाता है। [11]

फ्रांसीसी न्यायपालिका :–

फ्रांस में सभी विधियों का निर्माण संसद द्वारा किया गया है। यहां न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतन्त्र नहीं रखा गया है अपितु इसे एक प्रशासनिक अंग माना गया है। फ्रांस में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यहां दो समान्तर विधि न्यायालय है। पहला साधारण न्यायालय है जो साधारण नागरिकों के वाद–विवादों का निर्णय करता है। दूसरा प्रशासकीय न्यायालय जो कि साधारण नागरिकों और सरकारी पदाधिकारियों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करता है। फ्रांस में न्याय व्यवस्था को 5 भागों में विभक्त किया गया है।

चित्र 3 .6

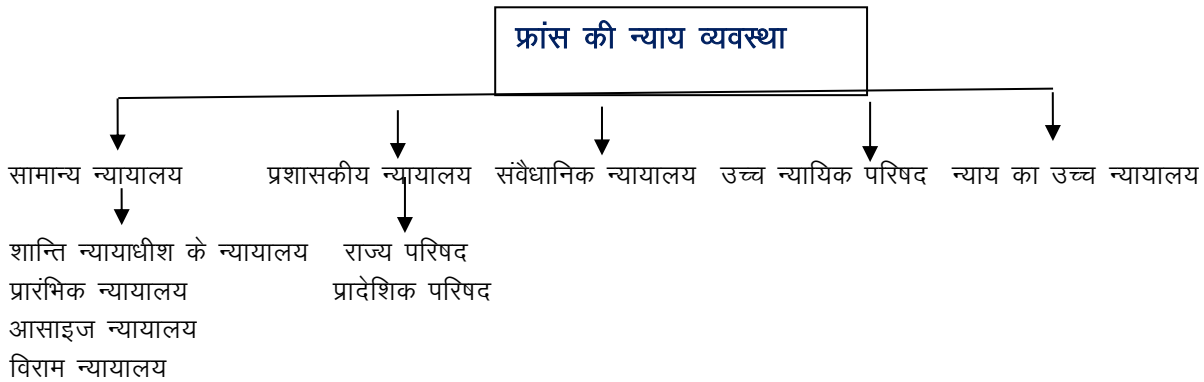

सामान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुछ अन्य न्यायालय भी आते हैं। शान्ति न्यायाधीश के न्यायालय निम्न स्तर के सामान्य न्यायालय है। फ्रांस में प्रत्येक कैण्टन न्यायालय होते हैं। शान्ति न्यायालय के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रारम्भिक न्यायालयों में की जाती है। इन न्यायालयों में 3 से 15 तक न्यायाधीशों की संख्या होती है। न्यायालयों के ऊपर अपील के प्रादेशिक न्यायालय होते हैं। यह न्यायालय प्रारम्भिक न्यायालय के दीवानी, फौजदारी मामलों से सम्बन्धित निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। इनके ऊपर आसाइज न्यायालय होते हैं जिसका निर्णय अन्तिम होता है। सामान्य न्यायालय के अन्तर्गत शीर्ष ' विराम न्यायालय' आते हैं। इसमें 4 न्यायालय होतें हैं। इसके 3 विभाग हैं जो कि एक दूसरे से पृथक होते है। यह एक अपीलीय न्यायालय है।

फ्रांस में सामान्य न्यायालय के साथ–साथ सन् 1970 में प्रशासकीय न्यायालयों की भी स्थापना की गयी है। प्रशासकीय न्यायालय, प्रशासकीय कानूनों को लागू करते हैं तथा प्रशासकीय अधिकारियों से सम्बधित मुकदमों की सुनवाई करते हैं। प्रशासकीय न्यायालय दो स्तरों पर कार्य करता प्रदेशिक परिषद् एवं राज्य परिषद्। प्रादेशिक परिषद् सार्वजनिक निर्माण, स्थानीय निर्वाचन आदि

मुद्दों पर निर्णय देता है। वहीं राज्य परिषद् एक पुरानी संस्था हैं जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसके सदस्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उनकी सांविधानिकता पर यह परिषद् सलाह देती है परन्तु यह सलाह बाध्यकर नहीं होती है। जब किसी नागरिक और प्रशासन के बीच कोई वाद–विवाद हो जाये तो उस पर यह परिषद् अंतिम अपीलीय न्यायालय का कार्य करती है। [12]

फ्रांस के संविधान में एक संवैधानिक परिषद् की व्यवस्था की गई हैं। इसे अर्द्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। यह विशेष दशाओं या सीमाओं के भीतर सरकार या संसद के कार्यो की संवैधानिकता पर निर्णय देने का कार्य करता है। संविधान के सातवें अध्याय में सांविधानिक परिषद् के संगठन तथा कार्यो का विवरण दिया गया है। फ्रांस के संवैधानिक–परिषद् में नौ सदस्य होते हैं तथा प्रत्येक सदस्य 9 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रत्येक तीन वर्षो पर एक–तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। एक बार चुनाव के पश्चात् इन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह परिषद् के 9 सदस्यों में से 3 सदस्यों तथा उसके अध्यक्ष को मनोनीत कर सकता है। 3 सदस्य सीनेट के अध्यक्ष द्वारा तथा 3 सदस्य राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

फ्रांस के संवैधानिक परिषद् का मुख्य कार्य है कि सरकार और संसद की आज्ञाप्तियां या विधान जारी करने का प्रस्ताव रखें जो संविधान में निहित मान्यताओं के अनुरुप हों। संविधान में राष्ट्रपति को न्यायालय की स्वन्तत्रता के लिए उत्तरदायी माना गया है। इस कार्य हेतु उच्च न्यायिक परिषद् की व्यवस्था की गयी है जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और नौ अन्य सदस्य होते हैं। इस परिषद् का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है तथा पदेन उपाध्यक्ष न्याय मंत्री होता है। राष्ट्रपति इसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। यह परिषद् सर्वोच्च न्यायालय तथा अपील न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखती है तथा राष्ट्रपति द्वारा क्षमा के मामलों में अपनी सलाह देती है। उच्च न्यायिक परिषद् के अतिरिक्त फ्रांस में न्याय का उच्च न्यायालय भी यहां की न्याय व्यवस्था में अपनी एक अलग भूमिका निभाता है। इस न्यायालय में संसद के दोनों सदनों के बराबर सदस्य होते है जो कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये महाभियोग तथा उच्च पदाधिकारियों पर लगायें गयें आरोपों की जांच करते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रीय सभा तथा सीनेट इस न्यायालय के लिए अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करती है तथा स्वयं में से एक सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। [13]

सन्दर्भ सूची–

1. सिंह, बृजेन्द्र कुमार'' तुलनात्मक राजनीति'', पैसिफिक पब्लिकेशन, दिल्ली,2012,पृ॰ 72,77
2. Martin+Schain-Politicstin+France.pdf, 31 March 2018,10.42 am
3. Article 24, www2.assembless-national.France Constitution, 26 january 2019, 2.42pm
4. तार्दा, श्रार्नाड,'' विधान –मंडलो में द्वितीय सदन का स्थान, राज्यसभा सचिवालय, नई दिल्ली,1977,पृ॰50
5. Article 45, www2.assembless-national.FranceConstitution.26 january 2019,2.45 pm.
6. https://www.senat.fr//ng/en/the-senates-role,26/4/2018,10.51 pm
7. Your- guide-to-the-French-government%20(1)pdf. 31 march 2018, 10.27 am
8. http://Constitutionnet.org/country/constitutional-history- france, 2.00 pm, 26 january 2019
9. https://www.gouvernement. frlen/ how-government-works , 2.42 pm, 26 january 2019
10. Article 41, www2.assembless-national.FranceConstitution. 26 january 2019,2.47pm.पाल, शिवम,''तुलनात्मक राजनीति विज्ञान''वंदना पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली, 2012,पृ॰ 212
11. शर्मा, नीता'' फ्रांस का संविधान'' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली,2014,पृ॰146,147
12. तदैव पृ॰ 137
13. Article 41, https://www.contituteproject.org>japan.pdf generated 29 jan 2019, 23.19